

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited मिनीरत्न श्रेणी-।, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) Miniratna Category-I, CPSE



(Wholly owned by Government of India)

सं.निम्(मा.सं.)/प्रशा/359-01/3857

दिनांक: 09.02.2023

कार्यालय आदेश/Office Order

विषय/Sub: एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन/Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 for Corporate Office, SPMCIL.

कंपनी एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक महिला कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। इसका उद्देश्य एक न्यायसंगत कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है जो महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनुकूल है और अवसरों के संदर्भ में समानता को प्रोत्साहित करता है। कंपनी किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का विरोध करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

The company is committed towards providing a work environment which ensures that each woman employee is treated with dignity and respect. The objective is to promote an equitable work culture that is conducive to the growth of women employees and encourages equality in terms of opportunities. The Company detests any form of sexual harassment and is committed to take all necessary steps to ensure that its women employees are not subjected to any form of harassment.

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत प्रावधान के अनुसार निगम कार्यालय, एसपीएमसीआईएल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

In accordance with the provision under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 the Internal Complaint Committee (ICC) has been constituted to deal with the complaints of sexual harassment at Corporate Office, SPMCIL. The जारी.....2.....

3/10/14h 09/02/2023

011-43582200

011-23701225-26 पंजीकृत कार्यालय: 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली- 110001 Regd. Office: 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

फैक्स / Fax: 011-23701223 E-mail: info@spmcil.com

CIN: U22213DL2006GOI144763

ICC shall consist of the following members:-

- i. सुश्री रेणु भसीन, उप महाप्रबंधक (मा.सं.) अध्यक्ष/Ms. Renu Bhasin, DGM (HR) Chairperson
- ii. सुश्री गुंजन सिंगला, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सदस्य/Ms. Gunjan Singla, Manager (F&A) - Member
- iii. श्री सुदेश पंवार, प्रबंधक (तक.प्रचा.) सदस्य/Sh. Sudesh Panwar, Manager (TO) Member
- iv. सुश्री मयूरी रघुवंशी, एओआर बाहरी सदस्य/Ms. Mayuri Raghuvanshi, AOR External Member
- 3. यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर या यदि घटनाओं की शृंखला है तो अंतिम घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर पत्र या ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में आईसीसी को अग्रेषित किया जाए।

Any grievance of sexual harassment may be referred to the ICC in writing through letter or e-mail within three months from the date of incident or if there are series of incidents then within three months from the date of last incident.

(आलोक आचार्या/Alok Acharjya)

311 mlan

उप महाप्रबंधक/Dy. General Manager (विधि/Legal)

प्रति/Copy:

समिति के सभी सदस्य/All Committee Members प्रतिलिपि/Copy to:

- i. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कार्यालय/Office of CMD
- ii. निदेशक (मा.सं.) के कार्यपालक सचिव/ निदेशक(वित्त) कार्यालय/मुख्य सतर्कता अधिकारी के सहायक प्रबन्धक (सचिवीय सेवा)/ ES to D(HR)/Office of D(F)/AM (SS) to CVO
- iii. सभी मुख्य महाप्रबंधक, टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारख़ाना/अनु एवं वि/कोविड/All CGMs, Mints/Presses/Paper Mill/R&D/Covid
- iv. म्ख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)/CGM (HR)
- v. महाप्रबंधक (वित्त/सू. प्रो./तकनीकी)/GM (Finance/IT/Technical)
- vi. सभी संयुक्त महाप्रबंधक, निगम कार्यालय/ All Jt. GMs, Corporate Office
- vii. कंपनी सचिव/Company Secretary
- viii. नोटिस बोर्ड/Notice Board